प्रारुप–11

(वन भूमि मांग का औचित्य)

परियोजना विवरण :– राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत **मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग** निर्माण हेतु **1.50** कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 382/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा रू0 8.04 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक **1141/254 याता0–8/2017 दिनांक 16.03.2018** से स्वीकृत है एवं मलेथ ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक की दूरी लगभग 1.500 कि0मी0 है। जिससे कि ग्रामवासियों को मलेथा से 1.500 कि0मी0 की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग ले जाने हेतु नाप भूमि के साथ–साथ सिविल वन भूमि की भी नितान्त आवश्यकता हैं बिना सिविल भूमि के मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है एवं वर्तमान में सेमवालगांव हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। अतः इस ग्राम को संयोजित किया जाना औचित्य पूर्ण है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोड़क्ट मार्केट में नहीं आ पाते है, और काश्तकारों को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इस मोटर रमार्ग के बनने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 0.8050 हे0 नाप भूमि, 0.2795 है0 में सिविल वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, अर्थात 0.2795 है0 वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग